

आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष, 2021)

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
	अध्याय-1	
	प्रारम्भिक	
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	3
2.	परिभाषाएँ	3-5
	अध्याय-2	
	विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य	
3.	विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव	5
4.	विश्वविद्यालय की स्थापना	5-7
5.	विश्वविद्यालय स्थापना के लिए शर्तें	7
6.	विश्वविद्यालय का प्रारम्भ	7
7.	विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना	7
8.	किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना	8
9.	विश्वविद्यालय के उद्देश्य	8
10.	विश्वविद्यालय की शक्तियाँ	9-11
11.	विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति सम्प्रदाय एवं लिंग की पहुँच	11
12.	राष्ट्रीय प्रत्यायन	11
	अध्याय -3	
	विश्वविद्यालय के अधिकारी	
13.	विश्वविद्यालय के अधिकारी	12
14.	कुलाध्यक्ष (विजिटर)	12-13
15.	कुलाधिपति	13
16.	प्रति-कुलाधिपति	13
17.	कुलपति	13-14
18.	प्रति-कुलपति	14
19.	संकायाध्यक्ष	14
20.	कुलसचिव	14-15
21.	वित्त अधिकारी	15
22.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	15
23.	अन्य अधिकारी	15
	अध्याय-4	
	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	
24.	विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण	15
25.	व्यवस्थापक मण्डल व उनकी शक्तियाँ	15-16
26.	प्रबन्ध मण्डल	17
27.	विद्या परिषद्	17

28.	वित्त समिति	17-18
29.	अन्य प्राधिकारी	18
30.	रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना	18
31.	शुल्क	18
अध्याय-5		
परिनियम और नियम		
32.	परिनियम	18-19
33.	परिनियम कैसे बनाए जायें	19
34.	परिनियम में संशोधन करने की शक्ति	19
35.	नियम	19-20
36.	नियमावली कैसे बनाए जायेगी	20
37.	नियमावली को संशोधन करने की शक्ति	20
अध्याय-6		
प्रकीर्ण		
38.	उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध	20-21
39.	कर्मचारियों की सेवा शर्तें	21
40.	अपील का अधिकार	21
41.	भविष्य निधियां एवं पेंशन	21
42.	विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद	21
43.	समितियों का गठन	22
44.	आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	22
45.	सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण	22
46.	संक्रमणकालीन उपबन्ध	22
47.	स्थायी विन्यास निधि	22
48.	सामान्य निधि	23
49.	विकास निधि	23
50.	निधि का अनुरक्षण	23
51.	वार्षिक प्रतिवेदन	23-24
52.	लेखा एवं लेखा परीक्षा	24
53.	विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति	24-25
54.	विश्वविद्यालय का विघटन	25
55.	विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय	25
56.	कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति	25-26

आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या

वर्ष 2021)

तकनीकी शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर, फार्मैसी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं टैक्नोलॉजी, आतिथ्य प्रबन्धन शिक्षा, होटल प्रबन्धन, अध्यापन शिक्षा, सामान्य विज्ञान, कला व वाणिज्य के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत मार्डन एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी, जी०टी० रोड, सिकरी कला, मोदीनगर, गाजियाबाद 201201, उ०प्र० द्वारा प्रायोजित आम्रपाली विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन के लिए -

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवे वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

अध्याय-एक प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम एवं 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आम्रपाली विश्वविद्यालय
प्रारम्भ अधिनियम, 2021 है।
- (2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में
अधिसूचना द्वारा नियत करे।
- परिभाषायें 2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ में, अन्यथा अपेक्षित न
हो:-
- (क) 'विद्या परिषद्' से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;
- (ख) 'प्राधिकारी' से विश्वविद्यालय का प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) 'व्यवस्थापक मण्डल' से विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मण्डल
अभिप्रेत है;
- (घ) 'प्रबन्ध मण्डल' से विश्वविद्यालय का प्रबन्ध मण्डल अभिप्रेत है;
- (ङ) 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रति-कुलाधिपति', 'प्रति-कुलपति',
'कुलसचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं 'वित्त अधिकारी' से
क्रमानुसार 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रति-कुलाधिपति',
'प्रति-कुलपति', 'कुलसचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं 'वित्त

अधिकारी' अभिप्रेत है;

- (च) "उपाधि" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 की उपधारा (3) के तहत विनिर्दिष्ट उपाधि अभिप्रेत है;
- (छ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी अभिप्रेत है इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित है;
- (ज) "संकाय" से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;
- (झ) "प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति एवं उसकी शक्ति" से उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 की धारा 4 के अधीन गठित समिति एवं उक्त अधिनियम में समिति को प्राप्त शक्तियों से अभिप्रेत है;
- (ञ) 'वित्त समिति' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (ट) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (ठ) 'हॉल' अथवा 'छात्रावास' से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्यता प्राप्त छात्रों के आवास की इकाई अभिप्रेत है;
- (ड) 'मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति पद्धति से व्यावहारिक अथवा कार्य अनुभव सहित एक उच्च शिक्षा संस्थान से शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के माध्यम से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और कभी-कभी सापेक्ष आमुख भेंट करने का अवसर उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न मीडिया का उपयोग कर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की खाई पाटकर लचीली ज्ञान अर्जन सेवाएं उपलब्ध कराना अभिप्रेत है;
- (ढ) 'स्थायी निवासी' से राज्य का ऐसा निवासी अभिप्रेत है, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार नियत प्राधिकारी द्वारा जारी उत्तराखण्ड राज्य में मूल /स्थायी निवासी का वैध प्रमाण पत्र हो;
- (ण) 'प्रायोजक संस्था' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसायटी मार्डन एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी, जी0टी0 रोड़, सिकरी कला, मोदीनगर, गाजियाबाद 201201 उ0प्र0 अभिप्रेत है;

- (त) 'राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
- (थ) 'परिनियमों और नियमावली' से कमशः विश्वविद्यालय के परिनियम और नियमावली अभिप्रेत है;
- (द) 'सांविधिक/विनियामक निकाय' से निकाय जिसका गठन उच्च शिक्षा के संगत क्षेत्रों में मानको की स्थापना तथा उन्हें बनाए रखने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियमों द्वारा किया गया हो, जैसे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए०आई०सी०टी०ई०), भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम०सी०आई०), भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्(डी०सी०आई०), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्(एन०सी०टी०ई०), भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सी०सी०आई०एम०) एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी०सी०आई०) इत्यादि अभिप्रेत है;
- (ध) 'अध्यापक' से आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, व्याख्याता अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाय;
- (न) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;
- (प) 'विश्वविद्यालय' से इस अधिनियम के अधीन स्थापित आम्रपाली विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (फ) 'कुलाध्यक्ष' (विजिटर) से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है;

अध्याय-2

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

- विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव
3. (1) प्रायोजक संस्था को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आम्रपाली विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।
- (2) प्रायोजक संस्था द्वारा राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया जायेगा।
- विश्वविद्यालय की 4. (1) प्रायोजक संस्था द्वारा आम्रपाली विश्वविद्यालय के नाम से एक

स्थापना

विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा।

- (2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।
- (3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय शिक्षा नगर, ग्राम लामचौड़, कालाडूंगी रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल उत्तराखण्ड होगा।
- (4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं व्यस्थापक मण्डल, प्रबन्ध मण्डल एवं विद्या परिषद के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुए निगमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद लाया जा सकेगा।
- (5) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उस प्रायोजन से भिन्न जिसके लिये उन्हें अधिग्रहित किया गया है, उपयोग नहीं किया जायेगा।
- (6) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों, संकाय, भूमि, भवन व अन्य ढांचागत सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता इत्यादि के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबंधित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा समय-समय पर प्रदत्त न्यूनतम मानदंडों का पालन किया जायेगा।
- (7) विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत, सृजित, व्यवस्थित अथवा निर्मित भूमि एवं अन्य चल-अचल सम्पत्तियां, प्रायोजक संस्था की सम्पत्तियों को छोड़कर, विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेंगी।
- (8) विश्वविद्यालय फैंचाइजिंग व्यवस्था के द्वारा अपने कार्यक्रम निजी संस्थानों को प्रदान नहीं करेगा, चाहे पाठ्यकर्मा को दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से संचालित किया जाना हो।
- (9) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 एवं समय-समय पर उसमें किये गये संशोधनों का पालन करेगा।
- (10) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 एवं समय-समय पर उसमें किये गये संशोधनों का अनुपालन करेगा।

(11) विश्वविद्यालय केवल ऐसी डिग्री प्रदान करेगा, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने किया गया हो।

(12) विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित विनियमों के अनुसार अपनी प्रथम डिग्री एवं मास्टर डिग्री कार्यक्रमों का संचालन करेगा।

विश्वविद्यालय
स्थापना के लिए
शर्तें

5. प्रायोजक संस्था को अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् -

(क) न्यूनतम 10 एकड़ सन्निहित भूमि का स्वामित्व है;

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर न्यूनतम 20,000 वर्गमीटर कारपेट ऐरिया में भवन निर्माण जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रयोजन के लिए हो;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में न्यूनतम चार करोड़ रूपयों की लागत से कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में उपकरणों की स्थापना की गई हो;

(घ) प्रायोजक संस्था भारत सरकार से पर्यावरण क्लीयरेन्स निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्राप्त कर राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगी;

(ड) विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम पर धारा 47 में निर्धारित स्थायी विन्यास निधि की स्थापना की जायेगी।

विश्वविद्यालय का
प्रारम्भ

6. (1) राज्य सरकार प्रायोजक संस्था द्वारा धारा 5 में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी करने के प्रस्ताव एवं संबंधित अभिलेखों को प्राप्त करने के परीक्षणोंपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

(2) राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के संचालन प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजक संस्था विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ करेगी।

विश्वविद्यालय का
वित्तीय सहायता
आदि के लिए
हकदार न होना

7. विश्वविद्यालय स्व वित्तपोषित होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी अन्य निकाय या निगम से किसी सहायता अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई मांग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

8. विश्वविद्यालय को किसी भी महाविद्यालय अथवा संस्थान से डिप्लोमा, डिग्री या अन्य उपाधियों को प्रदान करने के लिए, पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सम्बद्ध करने की शक्ति नहीं होगी।

9. जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे इस प्रकार हैं:-

(क) तकनीकी शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर, फार्मसी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं टैक्नोलॉजी, आतिथ्य प्रबन्धन शिक्षा, होटल प्रबन्धन, अध्यापन शिक्षा, सामान्य विज्ञान, कला व वाणिज्य के क्षेत्रों के समस्त तत्त्वों का व्यापक अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य की व्यवस्था करना;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सांविधिक/विनियामक निकाय और राज्य सरकार की पूर्वानुमति एवं निर्धारित प्रक्रिया व मानदण्डों का अनुपालन करते हुये तकनीकी शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर, फार्मसी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं टैक्नोलॉजी, आतिथ्य प्रबन्धन शिक्षा, होटल प्रबन्धन, अध्यापन शिक्षा, सामान्य विज्ञान, कला व वाणिज्य पाठ्यक्रमों का संचालन करना;

(ग) तकनीकी शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर, फार्मसी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं टैक्नोलॉजी, आतिथ्य प्रबन्धन शिक्षा, होटल प्रबन्धन, अध्यापन शिक्षा, सामान्य विज्ञान, कला व वाणिज्य के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना;

(घ) बाह्य अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम एवं बाह्य क्षेत्रीय गतिविधियों द्वारा समाज के विकास में अपना योगदान देना;

(ङ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव और नैतिकता का अभियंत्रिकरण की समझ को बढ़ावा देना;

(च) सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के संबर्धन एवं विकास में योगदान करना एवं उक्त छात्रों को मुख्य धारा में शामिल करने का अवसर प्रदान करना;

(छ) जैसा कि आवश्यक हो, ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक एवं सहायक हो।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

10. विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

- (क) तकनीकी शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर, फार्मसी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं टैक्नोलॉजी, आतिथ्य प्रबन्धन शिक्षा, होटल प्रबन्धन, अध्यापन शिक्षा, सामान्य विज्ञान, कला व वाणिज्य से संबंधित सभी विषयों में शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्रावधान करना;
- (ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियाँ सम्पादित करना जो आवश्यक अथवा साध्य हो;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षायें आयोजित करना तथा ऐसे व्यक्तियों को उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संरिथत और प्रदान करना जिन्होंने :-
- (i) विश्वविद्यालय में या उसकी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, अथवा
- (ii) विश्वविद्यालय में या उसकी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो;
- (घ) परिनियमों/प्रावधानों में अभिकथित रीति और शर्तों के अधीन मानद उपाधियाँ या अन्य शैक्षिक विशेषताएँ प्रदान करना;
- (ङ) परिनियमों के अनुसार अध्येयतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ एवं पुरस्कार आदि प्रदान करना;
- (च) ऐसी फीस, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किया जाये;
- (छ) धारा 9 में उल्लिखित तकनीकी शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर, फार्मसी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं टैक्नोलॉजी, आतिथ्य प्रबन्धन शिक्षा, होटल प्रबन्धन, अध्यापन शिक्षा, सामान्य विज्ञान, कला व वाणिज्य क्षेत्र में शिक्षा की वृद्धि के लिए व्यवस्था करना;
- (ज) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों की व्यवस्था करना;
- (झ) विश्वविद्यालय में संकाय, अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करना;

- (ज) प्रायोजक संस्था की पूर्वानुमति से विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ दान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास सम्पत्तियों सहित किसी चल एवं अचल संपत्तियों को अधिग्रहण, धारण, प्रबन्ध, अनुरक्षण व निस्तारण करना;
- (ट) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए हॉल की स्थापना व उसका अनुरक्षण करना व निवास स्थानों को निश्चित करना;
- (ठ) आवास का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियन्त्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना;
- (ड) प्रशासनिक, प्रबन्धन एवं अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों के आवश्यक पदों का सृजन;
- (ढ) अन्य विश्वविद्यालय से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें;
- (ण) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के सम्बंध में दूरस्थ शिक्षा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संबंधित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदण्डों के अनुसार आयोजित किया जा सके;
- (त) अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;
- (थ) विश्वविद्यालय में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;
- (द) विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तराखंड राज्य के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था करना;
- (ध) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे अन्य सभी कार्य करना चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रासंगिक हो या न हो;
- (न) स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित

करना तथा डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र आदि के लिए पाठ्यक्रम आरम्भ करना;

(प) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को प्रायोजक संस्था की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग रखना;

(फ) फिल्म, कैसेट, टेप, विडियो कैसेट, सीडी, वी०सीडी और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;

(ब) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और ऐसी दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त करना;

(भ) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना;

(म) संविदा करना उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति सम्प्रदाय एवं लिंग की पहुँच

11. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति, सम्प्रदाय या लिंग का हो, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा:

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करने पर प्रतिबन्ध है;

परन्तु यह और कि इस धारा के किसी बात के होते हुए भी यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संबंधित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा अवधारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

12. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से नियमानुसार मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय - 3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के

13. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

अधिकारी

- (क) कुलाध्यक्ष (विजिटर);
- (ख) कुलाधिपति;
- (ग) प्रति-कुलाधिपति;
- (घ) कुलपति;
- (ङ) प्रति-कुलपति (प्रो-वाइस चांसलर);
- (च) संकायाध्यक्ष;
- (छ) कुलसचिव;
- (ज) वित्त अधिकारी;
- (झ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी; और
- (ञ) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाध्यक्ष (विजिटर)

14. (1) उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।
- (2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हो तो उपाधियां एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात्:-
- (क) विश्वविद्यालय के मामलों से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मांगना,
 - (ख) कुलाध्यक्ष को यह प्राप्त सूचना के आधार पर यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अधिनियम, विनियम, अध्यादेश, परिनियमों अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों, पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
- (4) मानद उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन होगा।

कुलाधिपति

15. (1) प्रायोजक संस्था के अध्यक्ष आम्रपाली विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे जिनका कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि का होगा। तत्पश्चात् प्रायोजक संस्था द्वारा अपने सदस्यों में से

कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

- (2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन बनाये गए परिनियमों द्वारा प्रदान किया जाए।

प्रति-कुलाधिपति 16. (1) प्रति-कुलाधिपति को प्रायोजक संस्था के सदस्यों में से या उनके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

- (2) प्रति-कुलाधिपति के पास ऐसी शक्तियाँ होगी, जिन्हे इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा प्रदान किया जाये।

कुलपति

17. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाये, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य;
(ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;
(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;
(घ) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा मनोनीत चार सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।

- (3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को भेज देगी।

- (4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य पालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

- (5) जहाँ अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या

प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा तत्काल व्यवहृत न किया जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।

- (6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।
- (7) कुलाधिपति को सम्यक जाँच के बाद कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है, कुलाधिपति जाँच के दौरान आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।

प्रति-कुलपति

18. प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जायें और प्रति-कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

संकायाध्यक्ष

19. संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुलसचिव

20. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसे कि परिनियम में विहित किया जाए।
- (2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।
- (3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो।
- (4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

- वित्त अधिकारी 21. वित्त अधिकारी, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाये।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी 22. मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कुलपति द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।
- अन्य अधिकारी 23. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें, तथा शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाये।

अध्याय-4

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण 24. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, : -
- (क) व्यवस्थापक मण्डल;
- (ख) प्रबन्ध मण्डल;
- (ग) विद्या परिषद्;
- (घ) वित्त समिति, और
- (ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा प्राधिकारी घोषित किये जायेगे।
- व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियां 25. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे:-
- (क) कुलाधिपति - अध्यक्ष
- (ख) कुलपति - सदस्य सचिव
- (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव
- (घ) प्रायोजक संस्था द्वारा नामित - पाँच सदस्य
- (ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबन्धन संस्थान/भारतीय विज्ञान संस्थान/राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आदि जैसे प्रमुख संस्थानों में नामित अधिकारियों में से कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी

- (च) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित तीन शिक्षक
- (छ) कुलाध्यक्ष के द्वारा नामित उद्योग जगत के तीन सदस्य

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक निकाय होगी और उसकी उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;
- (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों, यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो का पुनर्विलोकन;
- (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन;
- (घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों अथवा नियमावलियों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संशोधन या निरसन;
- (ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;
- (च) राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन, और;
- (छ) ऐसे निर्णय एवं प्रयास करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं।

(3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें।

प्रबन्ध मण्डल

26. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- (क) कुलपति;
- (ख) कुलाधिपति द्वारा नामित - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबन्धन संस्थान/भारतीय विज्ञान संस्थान/ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में से एक अधिकारी;

- (ग) प्रायोजक संस्था द्वारा नामित – पाँच सदस्य;
- (घ) एक वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक;
- (ङ) कुलाधिपति द्वारा नामित दो संकायाध्यक्ष;
- (च) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न पद का न हो;
- (छ) कुलसचिव;
- (ज) कुलपति प्रबन्ध मण्डल का सभापति एवं कुलसचिव इसके सचिव होंगे।

(2) प्रबन्ध मण्डल के शक्तियों एवं कृत्य वही होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

विद्या परिषद्

27. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, :-
- (क) कुलपति – सभापति
 - (ख) कुल सचिव – सचिव
 - (ग) ऐसे अन्य सदस्य जैसा परिनियमों में विहित किया जाये।
- (2) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक संस्था होगी और इस अधिनियम तथा इसके अधीन निर्मित परिनियमों तथा नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

वित्त समिति

28. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, :-
- (क) कुलाधिपति – सभापति;
 - (ख) वित्त अधिकारी; – सदस्य,
 - (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न पद का न हो;
 - (घ) ऐसे अन्य सदस्य जो परिनियम में विहित किये जाये।

- (2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, जो वित्तीय मामलों की देख-भाल करेगी, और इस अधिनियम तथा इसके अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

अन्य प्राधिकारी

29. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियम/नियम में विहित किये जाये।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

30. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकारी के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

शुल्क

31. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का निर्धारण प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय-पांच

परिनियम और नियम

परिनियम

32. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों/अधिकारियों के सबन्ध में किसी विषय के लिए परिनियम द्वारा व्यवस्था की जा सकेगी, जो निम्नवत् है:-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य सम्पादन और ऐसी इकाईयों के गठन की प्रक्रिया जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है;
- (ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन;
- (ग) कुलाधिपति की नियुक्ति, उनकी शक्तियों एवं कृत्य;
- (घ) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति के नियम व शर्तें, तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य;
- (ङ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों संकाय सदस्य और कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति एवं सेवा शर्तें;
- (च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, अध्यापकों, संकाय के सदस्य, कर्मचारियों अथवा छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण;
- (छ) विभागों और संकायों का सृजन, उत्सादन और उसका पुनर्गठन;

- (ज) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;
- (झ) मानद उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;
- (ञ) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के संबन्ध में उपबन्ध;
- (ट) अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या तथा ऐसे तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया, जिसमें उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के लिए स्थानों के आरक्षण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है;
- (ठ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियों, फीस माफी, पदकों और पुरस्कारों की स्थापना;
- (ड) पदों का सृजन और समापन की प्रक्रिया; और
- (ढ) अन्य मामले जो विहित किये जायें।

परिनियम कैसे बनाए जायेंगे

परिनियम में संशोधन करने की शक्ति

नियम

33. व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम, अधिनियम के प्रभावी होने के तीन माह के भीतर, राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तरण के साथ या बिना उपान्तरण के परिनियमों को तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।
34. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या विद्यमान परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।
35. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, निम्नलिखित में से किसी विषय पर नियम बनाये जा सकेंगे, अर्थात्:-
 - (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;
 - (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए चलाये जाने वाले पाठ्यक्रम;
 - (ग) उपाधियां और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;
 - (घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियों, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
 - (ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों (moderators) की

नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

- (घ) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क;
- (छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क;
- (ज) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;
- (झ) विश्वविद्यालय में छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;
- (ञ) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्रावधान किया जायें।

नियमावली कैसे बनायी जायेगी

36. व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनायी गयी प्रथम नियमावली, अधिनियम के प्रभावी होने के तीन माह के भीतर राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जो उपान्तरण के साथ या बिना उपान्तरण के नियमावली पर तीन माह के अंदर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

नियमावली को संशोधन करने की शक्ति

37. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त नियम बना सकेगा या विद्यमान नियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

अध्याय - छः

प्रकीर्ण

उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध

38. (1) विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 31 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की जायेगी, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो रिक्त सीटें अन्य अभ्यर्थियों में से राज्य सरकार की पूर्वानुमति से भरी जा सकेगी।
- (2) विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में उपधारा (1) में वर्णित उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- (3) समूह "ग" व "घ" के समस्त पद उत्तराखण्ड के स्थायी/मूल निवासियों में से उनकी योग्यता के अनुसार भरे जायेंगे।
- (4) उपरोक्त उपधारा (1) में वर्णित आरक्षण सीटों पर विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू

आरक्षण नीति का द्वारा अनुपालन करेगा।

कर्मचारियों की
सेवा शर्तें

39. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।
- (2) छात्रों, कर्मचारियों, अध्यापकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न कोई भी विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्ध कर्मचारी द्वारा नामित एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त अधिनिर्णायक होंगे।
- (4) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (5) अधिकरण के कार्यों को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जायें।

अपील का
अधिकार

40. विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय के विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अंदर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि, उपान्तरित, परिवर्तित या निरस्त कर सकेगा।

भविष्य निधियां
एवं पेंशन

41. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायें, ऐसे भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय
प्राधिकरण और
निकायों के गठन
के बारे में विवाद

42. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य निकाय का सदस्य के रूप में विधिवत निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का
गठन

43. जब भी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, या अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई हो, वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई, समस्त सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों यदि कोई

हो, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।

आकस्मिक
रिक्तियों की पूर्ति

44. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता है।

सद्भावनापूर्ण की
गई कार्यवाही के
लिए संरक्षण

45. कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसार सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशायित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी।

संकमणकालीन
उपबन्ध

46. इस अधिनियम और परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों के किसी बात के होते हुए भी :-

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रति-कुलपति (pro-vice chancellor), यदि कोई है, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक उस पर कार्य करेगा;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी जो तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर कार्य करेंगे;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेंगा;

(घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

स्थायी विन्यास
निधि

47. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से पाँच करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी के रूप में रखी जायेगी जिसकी अवधि पाँच वर्ष की होगी तथा समयावधि पूर्ण होने पर प्रति पाँच वर्ष पश्चात् नवीनीकृत किया जाता रहेगा तथा उक्त बैंक गारन्टी में प्रति पाँच वर्ष में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

सामान्य निधि

48. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी,

अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले सभी शुल्क;
- (ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशी;
- (ग) प्रायोजक संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान; और
- (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।

(2) सामान्य निधि में जमा धन का प्रयोग विश्वविद्यालय के समस्त आवर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

49. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेगी, अर्थात्:-

- (क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;
- (ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;
- (ग) प्रायोजक संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान;
- (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त सभी आय।

(2) समय-समय पर विकास निधि में जमा की गयी निधियों का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का
अनुरक्षण

50. धारा 47, 48, और 49 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्वधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

51. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर

विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।

- (3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा व लेखा
परीक्षा

52. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्ट की जायेगी।
- (2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की प्रति वर्ष लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जायेगी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया (आई0सी0ए0आई0) के सदस्य हो।
- (3) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखों, तुलन-पत्र और लेखा-परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
- (5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेख-परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।

विश्वविद्यालय के
अभिलेख को
सिद्ध करने की
रीति

53. विश्वविद्यालय के कब्जों में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा समयक रूप से विधिवत रखी गई किसी पंजिका की कोई प्रविष्टि यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय

और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी।

विश्वविद्यालय का 54. विघटन

(1) यदि प्रायोजक संस्था द्वारा विश्वविद्यालय के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके विघटन का प्रस्ताव करती है तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।

(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाइयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रशासन को नियमानुसार अधिग्रहित करेगी।

विश्वविद्यालय के 55. विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय

(1) धारा 54 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिये होने वाले व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिये पर्याप्त नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

कठिनाइयों को 56. दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना

या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा ।

- (2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा ।

-----X-----

THE AMRAPALI UNIVERSITY BILL, 2021
(Uttarakhand Bill No. of 2021)

Index

Details

CHAPTER – I

Preliminary

Sections		Page No
1.	Short title and Commencement	3
2.	Definitions	3-6

CHAPTER II

The University and its Objectives

3.	Proposal for the Establishment of University	6
4.	Establishment of University	6-7
5.	Conditions for the establishment of the University	7-8
6.	Commencement of the University	8
7.	University shall not be entitled for any financial assistance etc.	8
8.	No power to affiliate any Institution	8
9.	Objectives of the University	8-9
10.	Powers of the University	9-12
11.	Access to all Classes, Castes, Creed and Gender in the University	12
12.	National Accreditation	12

CHAPTER – III

The Officers of the University

13.	Officers of University	13
14.	The Visitor	13-14
15.	The Chancellor	14
16.	The Pro- Chancellor	14
17.	The Vice- Chancellor	14-15
18.	The Pro-Vice- Chancellor	15
19.	The Deans of Faculties	15
20.	The Registrar	15-16
21.	The Finance Officer	16
22.	The Chief Executive Officer	16
23.	Other officers	16

CHAPTER -IV

Authorities of the University

24.	Authorities of the University	16-17
25.	The Board of Governors and its powers	17-18
26.	The Board of Management	18
27.	The Academic Council	19

28.	The Finance Committee	19
29.	Other Authorities	19
30.	Proceeding not Invalidated on account of Vacancy	19
31.	Fee Structure	20
	CHAPTER V	
	Statutes and Rules	
32.	Statutes	20-21
33.	How to make Statutes	21
34.	Power to amend the Statutes	21
35.	Rules	21-22
36.	How to make Rules	22
37.	Power to Amend the Rules	22
	CHAPTER VI	
	Miscellaneous	
38.	Provisions for Permanent Resident of Uttarakhand	22-23
39.	Service conditions of employees	23
40.	Right to appeal	23-24
41.	Provident Fund and pension	24
42.	Disputes as to constitution of University Authorities and Bodies	24
43.	Constitution of Committee	24
44.	Filling of casual Vacancies	24
45.	Protection of Action taken in good faith	24
46.	Transitional Provisions	24-25
47.	Permanent Endowment Fund	25
48.	General Fund	25-26
49.	Development Fund	26
50.	Maintenance of funds	26
51.	Annual Report	26-27
52.	Account and Audit	27
53.	Mode of proofing the University records	27-28
54.	Dissolution of the University	28
55.	Expenditure of University during Dissolution	28
56.	Power to remove difficulties	29

The Amrapali University Bill, 2021

(Bill No. of 2021)

A BILL

To establish and incorporate a University in the name of the Amrapali University with the objective of providing facilities of education, training and research in Technical Education, Management, Computer, Pharmacy, Information Technology, Engineering & Technology, Hospitality Management Education, Hotel Management, Teacher Education, General Science, Art and Commerce areas sponsored by Modern Academy Education Society, G.T.Road, Sikri Kalan, Modinagar, Ghaziabad. 201201 U.P. registered under the Societies Registration Act, 1860.

Be it enacted by Uttarakhand State Legislative Assembly in Seventy-second Year of the Republic of India as follows:

Chapter-I

Preliminary

- Short title and Commencement** 1. (1) This Act may be called the Amrapali University Act, 2021.
- (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
- Definitions** 2. In this Act, unless the context otherwise requires:-
- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
- (b) "Authority" means the Authority of the University;
- (c) "Board of Governors" means the Board of Governors of the University;
- (d) "Board of Management" means the Board of Management of the University;

- (e) **"Chancellor", "Vice Chancellor", "Pro-Chancellor", "Pro Vice-Chancellor", "Registrar", "Controller of Examinations" and "Finance Officer"** respectively means the "Chancellor", the "Vice Chancellor", the "Pro-Chancellor", the "Pro Vice-Chancellor", the "Registrar", "the Controller of Examinations" and "Finance Officer" of the University.
- (f) **"Degree"** means a degree specified under subsection (3) of Section 22 of the University Grants Commission Act, 1956;
- (g) **"Employee"** means employee appointed by the University and also includes teachers and other staff of the University;
- (h) **"Faculty"** means faculty of the University;
- (i) **"Fee and Admission Regulatory Committee and its powers"** means the Fee and Admission Regulatory Committee constituted under Section 4 of the Uttarakhand Unaided Private Professional Educational Institution (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006 and the powers given to the committee in the said Act;
- (j) **"Finance Committee"** means the Finance Committee of the University;
- (k) **"Government"** means the Government of Uttarakhand;
- (l) **"Hall" or "Hostel"** means a unit of residence for the students maintained or recognized by the University;
- (m) **"Open and Distance learning mode"** means a mode of providing flexible learning services opportunities by overcoming separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, online and occasional interactive face-to-face meetings with the presence of any Higher Education

Institution of Learner Support Services to deliver teaching-learning experiences, including practical or work experiences;

- (n) **"Permanent Resident"** means such resident of the state who has the valid domicile/ permanent resident certificate issued by the prescribed authority as per the rules framed by the State Government from time to time;
- (o) **"Sponsor society"** means Modern Academy Education Society, G.T.Road, Sikri Kalan, Modinagar, Ghaziabad. 201201 U.P. registered under the Societies Registration Act 1860;
- (p) **"State"** means State of Uttarakhand;
- (q) **"Statutes" and "Rules"** mean respectively the Statutes and Rules of the University;
- (r) **"Statutory/Regulatory Body"** means a body so constituted by the Central/State Government Acts for setting and maintaining standards in the relevant areas of higher education, such as All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI), National Council for Teacher Education (NCTE), Central Council of Indian Medicine (CCIM) and Bar Council of India (BCI), etc.;
- (s) **"Teacher"** means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Lecturer or such other person as may be appointed under norms of University Grants Commission for imparting education or conducting research in the University;
- (t) **"University Grants Commission"** means University Grants Commission established under University Grants Commission Act, 1956;
- (u) **"University"** means the Amrapali University established under this Act;

- (v) "Visitor" means the Visitor of the University.

Chapter-II

The University and its Objectives

Proposal for the Establishment of the University

3. (1) The Sponsor Society shall have the right to establish the Amrapali University in accordance with the provisions of this Act.
- (2) A proposal related to establishment of University along with the records shall be presented to State Government by the Sponsor Society.

Establishment of University

4. (1) A University in the name of Amrapali University shall be established by the Sponsor Society.
- (2) The University shall be a Corporate body.
- (3) The Headquarter of the University shall be at shiksa nagar, village lamachaur, Kaladhungi Road, Haldwani, Nainital, Uttarakhand.
- (4) The Chancellor, the Vice-Chancellor and members of the Board of Governors, Board of Management and the Academic Council of the University for the time being holding office as such in the University so established, may constitute a body corporate and may sue and be sued in the name of the University.
- (5) The land, building and other properties acquired for the University shall not be used for any purpose, other than that for which the same is acquired.
- (6) The University shall fulfill the minimum criteria in terms of all courses, faculty, land, building and any other infrastructural facilities, financial viability, etc., as laid down from time to time by the University Grant Commission and other concerned Statutory/Regulatory body.

- (7) On the establishment of the University the land and other movable and immovable properties acquired, created, arranged or built by the University for the purpose of the University, except the properties of the Sponsor Society shall stand transferred to and vested in the University.
- (8) The University shall not provide its programmes to the private institutions through franchising arrangement whether the courses are to be conducted through distance education system.
- (9) The University shall comply with the University Grant Commission (Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulation, 2003 and amendments made there in from time to time.
- (10) The University shall comply with the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulation, 2017 and amendments made there in from time to time.
- (11) The University shall award only such degrees as are specified by the University Grants Commission and published in the Official Gazette
- (12) The University shall conduct their first degree and Master's degree programmes in accordance with the regulations notified by the University Grants Commission in this regard.

Conditions for the establishment of the University

5. The Sponsor Society shall for the purposes of establishing the University under the Act shall fulfill the following conditions, namely-
 - (a) Duly possesses minimum 10 acres contiguous land ownership;
 - (b) Building construction on land mentioned in clause (a) of minimum of 20,000 sqm carpet area in which at least 50 percent, shall be for academic and administrative purposes;

- (c) Equipments have been established in offices and laboratories of the building as specified in clause (b) worth a minimum rupees four crore;
- (d) The Sponsor Society shall make available to the State Government environmental clearance obtained as per rules from the Government of India;
- (e) The University shall establish a permanent endowment fund in the name of the State Government Under section 47.

Commencement of the University

- 6. (1) The State Government shall issue the authority letter only after verifying the proposal along with related documents received from the Sponsor Society to the effect that all conditions referred to in section 5 has been fulfilled.
- (2) The Sponsor Society shall start the functioning of the University only after obtaining the authority letter for starting the functioning of the University, by the State Government.

University shall not be entitled for any financial Assistance etc

- 7. The University shall be self-financed and shall neither make a demand nor shall be entitled to any grant in-aid or any other financial assistance from the State Government or any other body or corporation owned or controlled by the State Government.

No power to affiliate any institution

- 8. The University shall have no power to affiliate any college or institution for conducting courses leading to award of its diplomas, degrees or other titles.

Objectives of the university

- 9. The objectives for which the University is established are as follows:-
 - (a) To provide for extensive study, teaching, and research in all elements of Technical Education, Management, Computer, Pharmacy, Information Technology, Engineering and Technology, Hospitality Management Education, Hotel Management, Teacher Education, General Science, Art and Commerce;

- (b) To conduct the courses of Technical Education, Management, Computer, Pharmacy, Information Technology, Engineering and Technology, Hospitality Management Education, Hotel Management, Teacher Education, General Science, Art and Commerce areas; with the prior permission and to adhere to procedure and norms laid down by University Grant Commission and Statutory/Regulatory body and State Government;
- (c) To promote research and innovations in the Technical Education, Management, Computer, Pharmacy, Information Technology, Engineering and Technology, Hospitality Management Education, Hotel Management, Teacher Education, General Science, Art and Commerce;
- (d) To undertake extramural studies, extension programs and field outreach activities to contribute to the development of society;
- (e) To promote National integration, secularism, social harmony and international harmony and engineering understanding and ethics;
- (f) To contribute to the promotion and development of economically and socially deprived class and provide to such students the opportunity to join mainstream;
- (g) As necessary, doing all works necessary, relevant and helpful for achieving all or any of the objectives of the University.

Powers of the University

10. The University shall have the following powers, :-

- (a) to provide education in all disciplines pertaining to Technical Education, Management, Computer, Pharmacy, Information Technology, Engineering and Technology, Hospitality Management Education, Hotel Management, Teacher Education, General Science, Art and Commerce

areas and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

- (b) to carry out all such activities as may be necessary or feasible in for fulfilling the objectives of the University;
- (c) to hold examinations for such persons and to institute grant and confer degrees or other academic distinctions to, and on such, persons, who-
 - (i) have pursued a course of study in the University or under its distance education system; or
 - (ii) have carried on research in the University or under its distance education system;
- (d) to confer honorary degree or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Statutes/provisions;
- (e) to award fellowships, scholarships, and prizes etc. in accordance with the Statutes;
- (f) to demand and receive such fee, bills and invoices and collect charges as may be fixed by the Statutes or rules, as the case may be;
- (g) to make provisions for the advancement of education in Technical Education, Management, Computer, Pharmacy, Information Technology, Engineering and Technology, Hospitality Management Education, Hotel Management, Teacher Education, General Science, Art and Commerce areas mentioned in Section 9;
- (h) to provide other extracurricular activities for students and employees apart from education;
- (i) to make appointment of faculty, officers and employees in the University;
- (j) to receive donations and gifts of any kind and to acquire, hold, manage, maintain and dispose of

any movable and immovable property, including trust and endowment properties for the purpose of the University with the prior permission of The Sponsor Society;

- (k) to establish and maintain halls and to recognize places of residence for students of the University;
- (l) to supervise and control the residence, and regulate the discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees, including their Code of Conduct;
- (m) to create the necessary posts of the employees in the administrative, management and other sectors;
- (n) to co-operate or collaborate with other University in such a manner and for such purposes as the University may determine from time to time;
- (o) to provide distance education system and the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organized as per procedure and norms prescribed by University Grants Commission and other concerned Statutory/Regulatory body ;
- (p) to organize and conduct refresher courses, orientation courses, workshops, seminars, and other programs for teachers, writers, evaluators and other academic staff;
- (q) to determine standards of admissions to the University through specialized committees and with the approval of Academic Council;
- (r) to make special provision for students belonging to the state of Uttarakhand for admission in any course of the University;
- (s) to do all such other things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to pursue the objectives of the University;

- (t) to prescribe courses for Bachelor Degree, Post Graduate and Research and to start the courses for diploma, Certificates etc;
- (u) to clearly set apart Academic Activities of the University from the activities the Sponsor Society;
- (v) to provide for the preparation of educational materials, including films, cassettes, tapes, video cassettes, CD, VCD and other softwares;
- (w) to recognize examinations of, or periods of study (whether in full or in part) at, other universities, Institutions or other places of higher learning as equivalent to examination or periods of study in the University and to withdraw such recognition at any time;
- (x) to raise, collect, subscribe and borrow money with the approval of the Board of Governors, with or without the security of property of the University for the purpose of the University;
- (y) to enter into, carry out, vary or cease contract.

Access to all classes, Castes, Creed and Gender in the University

11. The University shall be open to all persons irrespective of class, caste, creed or gender:

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the university from making special provisions for admission to permanent resident of Uttarakhand:

Provide further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit in any course a larger number of students than the students determined by the University Grants Commission and other concerned Statutory/Regulatory body.

National Accreditation

12. The University shall seek accreditation from various national accreditation institutions.

Chapter III The Officers of the University

Officers of University

13. The following shall be the officers of the University:-

- (a) The Visitor;
- (b) The Chancellor;
- (c) The Pro Chancellor;
- (d) The Vice Chancellor;
- (e) The Pro Vice Chancellor;
- (f) The Deans of Faculties;
- (g) The Registrar;
- (h) The Finance Officer;
- (i) The Chief Executive Officer; and
- (j) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

The Visitor

14. (1) The Governor of Uttarakhand shall be the Visitor of the University.

(2) The Visitor shall, when present, preside the convocation of the University for conferring degrees and diplomas.

(3) The Visitor shall have the following powers namely:-

(a) to call for any record, letter or information relating to the affairs of the university;

(b) on the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any order, minutes or decision taken by any authority or University is not in conformity with the Act, Statutes or Rules, Regulation ordinance he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the University and the directions so issued shall be complied by all concerned

office bearers.

- (4) Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the approval of the Visitor.

**The
Chancellor**

15. (1) Chairman of Sponsor Society shall be the first Chancellor of the Amrapali University, who's tenure shall be of three years. Thereafter the Sponsor Society, with the prior concurrence of the Visitor, shall appoint Chancellor from amongst its members

- (2) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by the Statutes made under this Act.

**The Pro
Chancellor**

16. (1) The Pro Chancellor may be appointed from amongst or by the members of the Sponsor Society.

- (2) The Pro-Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes.

**The Vice
Chancellor**

17. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed on such terms and conditions as may be prescribed by the Statutes for a terms of three years by the Chancellor, from a panel of three persons recommended by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).

- (2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following members, namely:-

- (a) One member nominated by the Visitor;
- (b) One member nominated by the Chancellor
- (c) The Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department;
- (d) Four members nominated by the Board of Governors, one of whom shall be nominated as the convener of the committee by the Board of Governors.

- (3) The Committee shall, on the basis of merit prepare a panel of names of three persons suitable to hold the

office of the Vice-Chancellor and forward the same to the Chancellor along with a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each person

- (4) The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive and Academic Officer of the University who shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.
- (5) Where any matter other than the appointment of a teacher is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officers or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit with prior approval of the Chancellor.
- (6) The Vice-Chancellor shall exercise such other power and perform such other duties as may be laid down by the Statutes or the Rules.
- (7) The Chancellor is empowered to remove the Vice-Chancellor after due enquiry, the Chancellor may suspend the Vice-Chancellor during enquiry keeping in view upon the seriousness of the charges, as he may deem fit.

**The Pro Vice
Chancellor**

18. A Pro Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor with prior approval of the Chancellor in such manner as may be prescribed by Statutes and Pro-Vice Chancellor shall exercise such power and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

**The Deans of
Faculties**

19. The Deans of faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner as may be prescribed in the Statutes and he shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

The Registrar

20. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such term and conditions as may

be prescribed by the Statutes.

- (2) The Registrar shall enter into and sign all contracts on behalf of the University.
- (3) The Registrar shall have the power to verify records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or may be required by the Chancellor or the Vice-Chancellor from time to time.
- (4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of University and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice-Chancellor or any other authority, all such information and document as may be necessary for transaction of their business.

The Finance Officer

21. The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

The Chief Executive Officer

22. The Chief Executive Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

Other Officers

23. The manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of the other officers of the University shall be such may be prescribed by the Statutes.

Chapter IV Authorities of the University

Authorities of the University

24. The following shall be the authorities of the University; namely:-
 - (a) The Board of Governors;
 - (b) The Board of Management;
 - (c) The Academic Council;

**The Board of
Governors and
its powers**

- (d) The Finance Committee; and
 - (e) Such other authorities as may be declared by the Statutes, to be the authorities of the University :
25. (1) The Board of Governors shall consist of following :-
- (a) The Chancellor - Chairman;
 - (b) The Vice Chancellor - Member Secretary;
 - (c) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department;
 - (d) Five persons nominated by Sponsor Society.
 - (e) One officer amongst from the officers nominated in the institutes such as Central University, Indian Institute of Technology/Indian Institute of Management/Indian Institute of Science/Institute of National Ayurveda nominated by the Chancellor;
 - (f) Three academicians nominated by the Visitor;
 - (g) Three members of industrial sector nominated by the Visitor.
- (2) The Board of Governors shall be the principal governing body of the University and shall have the following powers; namely:--
- (a) to lay down policies to be pursued by the University;
 - (b) to review decisions of the other authorities of the university if they are not in conformity with the provision of this Act, or the Statutes or the Rules;
 - (c) to approve the budget and annual report of the University;
 - (d) to make new or additional Statutes or Rules or amend or repeal, the earlier statutes and Rules;
 - (e) to take decision about voluntary winding up of the

university;

- (f) to approve proposals to be submitted to the State Government; and
 - (g) to take such decisions and steps as are found desirable for effectively carrying out the objective of the University.
- (3) The Board of Governors shall, meet at least three times in a year at such time and place as the Chancellor thinks fit.

The Board of Management

26. (1) The Board of Management shall consist of following members:-
- (a) The Vice-Chancellor;
 - (b) One officer amongst from the officers nominated in the Indian Institute of Technology/Indian Institute of Management/Indian Institute of Science/Institute of National Ayurveda nominated by the Chancellor;
 - (c) Five Persons, nominated by Sponsor Society;
 - (d) Two Professor of the University, by rotation on the basis of seniority for a period of one year;
 - (e) Two Deans of the faculties nominated by the Chancellor;
 - (f) Principal Secretary/Secretary to the Government in the Higher Education Department or member nominated by him not below the rank of Joint Secretary to the State Government;
 - (g) The Registrar;
 - (h) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management and the Registrar shall be the Secretary of the Board of Management.
- (2) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed by the statutes.

The Academic Council

27. (1) The Academic Council shall consist of following members:-
- (a) the Vice-Chancellor—Chairman;
 - (b) the Registrar –Secretary;
 - (c) Such other members as may be prescribed in Statutes.
- (2) The Academic Council shall be the Principal Academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, and the Statutes and the Rules made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

The Finance Committee

28. (1) The Finance Committee shall consist of following members:-
- (a) the Vice-Chancellor—Chairman;
 - (b) the Finance Officer - Member
 - (c) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department or member nominated by him not below the rank of Joint Secretary to the State Government;
 - (d) Such other member as may be the prescribed in the Statutes.
- (2) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of financial matters and shall, subject to the provisions of this Act and Statutes and Rules, co-ordinate and exercise general supervision over the financial matters of the University.

Other Authorities

29. The constitution, power and functions of the other Authorities of the University shall be such as may be prescribed in Statutes/Rules.

Proceedings not invalidated on account of

30. No act or proceeding of any authority of the University shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the authority.

vacancy

Fee Structure

31. The fee structure of the courses run by the university shall be determined by the Admission and Fee Regulatory Committee.

Chapter V Statutes and Rules

Statutes

32. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and officers/employees as given below :-
- (a) The procedure for transaction of business of the Authorities of the University and the composition of bodies not specified in this Act;
 - (b) The operation of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund;
 - (c) Appointment of the Chancellor, his powers and functions;
 - (d) The terms and conditions of appointment of the Vice- Chancellor, the Registrar and the Finance officer and their powers and functions;
 - (e) The mode of recruitment and the conditions of service of the other officers, teachers, faculty members and employees of the University;
 - (f) The procedure for resolving disputes between the University and its officers, teachers, faculty members, employees or students;
 - (g) Creation, abolition and restructuring of departments and faculties;
 - (h) The manner of co-operation with other Universities and Institutions of higher learning;
 - (i) The procedure for conferment of honorary

degrees;

- (j) Provisions regarding grant of freeship and scholarships;
- (k) Number of seats in different courses of studies and the procedure of admission of student to such courses including procedure of reservation of seats for the students of Uttarakhand;
- (l) Institution of fellowships, scholarships, studentships, freeships, medals and prizes;
- (m) procedure of creation and abolition of posts; and
- (n) other matters as may be prescribed.

How to make Statutes

33. The First statutes framed by the Board of Governors shall be submitted to the State Government for its approval within three months after the Act come into effect, which may give its approval with or without modification within three month.

Power to amend the Statutes

34. The Board of Governors may, with the prior approval of the State Government, make new or additional Statutes or amend or repeal the existing Statutes.

Rules

35. Subject to the provisions of this Act, the Rules may be framed for any of the following matters, namely:-

- (a) Admission of students to the University, their enrolment and continuance as such;
- (b) The course of study to be run for all degrees and other academic distinctions of the University;
- (c) The award of degree and other academics distinctions;
- (d) The conditions for conferment of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals,

and prizes;

- (e) The conduct of examinations and the terms and conditions and manner of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators;
- (f) Fee chargeable from students for various courses of studies;
- (g) The fee to be charged for the examination, degrees and other academic distinctions of University;
- (h) The terms and conditions of residence of the students at the University ;
- (i) To maintain discipline among the students of the University;
- (j) All other matters as may be provided under the rules and Statutes made under this Act.

How to make rules

36. The first rules framed by the Board of Governors shall be submitted to the State Government for its approval within three months after the Act come into effect, which may, within three months, give its approval with or without modification.

Power to amend Rules

37. The Board of Governors may, with the prior approval of the State Government, make new or additional rules or amend or repeal the existing rules.

**Chapter VI
Miscellaneous**

Provision for Permanent Resident of Uttarakhand

38. (1) For admission in various courses conducted by the University, minimum 31 percent seats shall be reserved for the permanent residents of the State of Uttarakhand. If the reserved seats for permanent residents remain vacant, than the said vacant seats may be filled from amongst the other candidates

with prior permission of the State Government.

(2) 25 percent concession in tuition fees fixed for various courses conducted by the University, as mentioned in sub-section (1) above, shall be given to the permanent residents of Uttarakhand.

(3) All posts of Group 'C' and 'D' employees shall be filled by the permanent/domicile residents of State of Uttarakhand.

(4) The University shall follow the reservation policy applicable from time to time by the State Government with regard to seats reserved under sub section (1) above.

Service conditions of employee

39. (1) Every employee shall be appointed under a written contract, which shall be kept in the University and a copy of which shall be given to the employee concerned.

(2) Disciplinary action against the students, employees, teachers and officers shall be governed by procedure prescribed in the Statutes.

(3) Any dispute arising out of the contract between the University and any employee shall, at the request of the employee, be referred to an arbitration tribunal consisting of one member appointed by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an adjudicator appointed by the Chancellor.

(4) The decision of the tribunal in such matter shall be final.

(5) The procedure for regulating the work of the Tribunal shall be such as may be prescribed.;

Right to appeal

40. Every employee or student of the University have a right to appeal within such time as may be prescribed, to the Board of Management against the decision and thereupon the Board of Management may confirm,

modify or change or set-aside the decision appealed against.

- Provident Fund and Pension** 41. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident or pension fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.
- Disputes as to constitution of University Authorities and Bodies** 42. If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled, to be a member of authority or any other body University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.
- Constitution of Committees** 43. Whenever any authority of the University is given power by this Act or the Statutes to appoint Committee, such committees shall, save as otherwise provided, consist of any or all the members of the authority concerned and of such other person, if any, as the authority in each case thinks fit.
- Filling of Casual Vacancies** 44. Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members of any Authority or body of the University shall be filled in same manner in which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling vacancy shall be a member of such authority or body for the remaining term for which the person whose place he/she fills would have been a member.
- Protection of action taken in good faith** 45. No suit or other legal proceeding shall lie against any officer or other employee of the University for anything, which is done or intended to be done in good faith in pursuance of the provisions of this Act or the Statutes or the Rules made there/under.
- Transitional Provisions** 46. Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act and the Statutes-

- (a) The first Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor, if any shall be appointed by the Chancellor and the said officer shall hold office for a term of three year;
- (b) The first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor who shall hold office for a term of three years;
- (c) The first Board of Governors shall hold office for a term not exceeding three years;
- (d) The first Board of Management, the first Finance Committee and the first Academic council shall be constituted by the Chancellor for a term of three years.

**Permanent
Endowment
Fund**

47. The University shall keep a permanent endowment fund of Rs. Five Crores in the form of a Bank Guarantee of a Nationalized Bank in the name of State Government of Uttarakhand whose tenure shall be of five years and after the completion of the duration it shall be renewed after every five years and the said Bank Guarantee shall be increased by 25 percent after every 5 years.

General Fund

48. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:-
- (a) All fees which may be charged by the University;
 - (b) All-sums received from any other source;
 - (c) All contributions made by the Sponsor Society;
 - (d) All contribution/donations made in this behalf by any other person or body, which are not prohibited by any law for the time being in force.
- (2) The funds credited to the general fund shall be

used to meet all the recurring expenditure of the University.

Development Fund

49. (1) A development fund shall be established by the University, in which the following funds shall be credited, namely:-
- (a) Development fees which may be charged from students;
 - (b) All amounts received from any other source for the purpose of the development of the University;
 - (c) All contributions made by the Sponsor Society;
 - (d) All contribution/donation made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force; and
 - (e) All incomes received from the permanent endowment fund.
- (2) The funds credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.

Maintenance of Funds

50. The funds established under sections 47, 48 and 49 shall subject to general supervision and control of the Board of Governors, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

Annual Report

51. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall be submitted to the Board of Governors for its approval.
- (2) The Board of Governors shall consider the annual report in its meeting and may approve the same with or without modification.
- (3) A copy of the annual report duly approved by the board of Governors shall be sent to Visitor and the State Government before 31 December following

**Account and
Audit**

close of the financial Year in 31 March each year.

52. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and all funds accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.
- (2) The annual accounts of the University shall be audited by an auditor, who is a member of the Institute of Chartered Accountants of India, every year.
- (3) A copy of the annual accounts and the Balance sheet together with the audit report shall be submitted to the Board of Governors well before 31 December following close of the financial year in 31 March each year.
- (4) The annual accounts, the Balance sheet and the audit report shall be considered by the Board of Governors at its meeting and the Board of Governors shall forward the same to the Visitor and the State Government along with its remarks thereon before the 31st December each year.
- (5) The direction of the State Government on the subject arising out of the accounts and audit report of the University shall be binding on the University.

**Mode of proofing
the University
record**

53. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the university or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded where the original thereof

shall, if produced, have been admissible in evidence.

Dissolution of the University

54. (1) If the Sponsor Society proposes dissolution of the University in accordance with the law governing its constitution or incorporation; it shall give at least three months notice in writing to the State Government.
- (2) On identification of mismanagement, maladministration, in-discipline, failure in the fulfillment the objectives of University and economic hardships in the management systems of University, the State Government shall issue directions to the management systems of university. If the directions are not followed within such time as may be prescribed by the State Government, the right to take decision for winding up of the University shall vest in the State Government.
- (3) The manner of winding up of the University would be such as may be prescribed by the State Government in this behalf.
- (4) On receipt of the notice referred to in sub-section (1), the State Government shall acquire the administration of the University as per rules.

Expenditure of the University during dissolution

55. (1) The expenditure for administration of the University during the taking over period of its management under section 54 shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund or the development fund.
- (2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over period of its management, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University, by the State Government.

**Power to
remove
difficulties**

56. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification or order, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty:

Provided that no notification or order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.

- (2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as maybe after it is made, be laid before the State legislative Assembly.

-----X-----

Statement of Objective and reasons

To encourage the development of the State as an education hub and to promote private sector participation in the field of higher education, it is decided that in shiksa nager, village lamachaur, Kaladhungi Road, Haldwani, Nainital, Uttarakhand a private University named 'Amrapali University', sponsored by Modern Academy Education Society, is to be established. The aim of the said University is to provide innovation of education, new method of teaching and learning and for the overall development of personality, to provide education to the socially and economically deprived class, to promote state related research programmes and to provide employment resources.

2- Proposed bill fulfills the above objectives.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister

विधेयक का खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

प्रस्तावित आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को अधिनियमित किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

1. विधेयक के खण्ड 01 में संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ के विषय की व्यवस्था को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
2. विधेयक के खण्ड 02 में परिभाषायें को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
3. विधेयक के खण्ड 03 में विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
4. विधेयक के खण्ड 04 में विश्वविद्यालय की स्थापना उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
5. विधेयक के खण्ड 05 में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए शर्तों को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
6. विधेयक के खण्ड 06 में विश्वविद्यालय का प्रारम्भ को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
7. विधेयक के खण्ड 07 में विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
8. विधेयक के खण्ड 08 में किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होने का उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
9. विधेयक के खण्ड 09 में विश्वविद्यालय के उद्देश्य को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
10. विधेयक के खण्ड 10 में विश्वविद्यालय की शक्तियाँ को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
11. विधेयक के खण्ड 11 में विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति, सम्प्रदाय एवं लिंग की पहुँच को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
12. विधेयक के खण्ड 12 में राष्ट्रीय प्रत्यायन को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
13. विधेयक के खण्ड 13 में विश्वविद्यालय के अधिकारी हेतु उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
14. विधेयक के खण्ड 14 में कुलाध्यक्ष(विजिटर) को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
15. विधेयक के खण्ड 15 में कुलाधिपति को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
16. विधेयक के खण्ड 16 में प्रति-कुलाधिपति को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
17. विधेयक के खण्ड 17 में कुलपति को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
18. विधेयक के खण्ड 18 में प्रति-कुलपति को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
19. विधेयक के खण्ड 19 में संकायाध्यक्ष को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
20. विधेयक के खण्ड 20 में कुलसचिव को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
21. विधेयक के खण्ड 21 में वित्त अधिकारी को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

22. विधेयक के खण्ड 22 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
23. विधेयक के खण्ड 23 में अन्य अधिकारी को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
24. विधेयक के खण्ड 24 में विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
25. विधेयक के खण्ड 25 में व्यवस्थापक मण्डल व शक्तियों को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
26. विधेयक के खण्ड 26 में प्रबन्ध मण्डल को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
27. विधेयक के खण्ड 27 में विद्या परिषद् को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
28. विधेयक के खण्ड 28 में वित्त समिति को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
29. विधेयक के खण्ड 29 में अन्य प्राधिकारी को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
30. विधेयक के खण्ड 30 में रिक्ति क कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
31. विधेयक के खण्ड 31 में शुल्क को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
32. विधेयक के खण्ड 32 में परिनियम को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
33. विधेयक के खण्ड 33 में परिनियम कैसे बनाए जायेंगे को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
34. विधेयक के खण्ड 34 में परिनियम में संशोधन करने की शक्ति को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
35. विधेयक के खण्ड 35 में नियम को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
36. विधेयक के खण्ड 36 में नियमावली कैसे बनायी जायेगी को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
37. विधेयक के खण्ड 37 में नियमावली को संशोधन करने की शक्ति को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
38. विधेयक के खण्ड 38 में उत्तराखण्ड के स्थाई निवासियों के लिए उपबन्ध को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
39. विधेयक के खण्ड 39 में कर्मचारी की सेवा शर्तों को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
40. विधेयक के खण्ड 40 में अपील का अधिकार का उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
41. विधेयक के खण्ड 41 में भविष्य निधियों एवं पेंशन का उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
42. विधेयक के खण्ड 42 में विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बार में विवाद का उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
43. विधेयक के खण्ड 43 में समितियों का गठन का उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
44. विधेयक के खण्ड 44 में आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
45. विधेयक के खण्ड 45 में सदभावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

46. विधेयक के खण्ड 46 में संक्रमणकालीन उपबन्ध को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
47. विधेयक के खण्ड 47 में स्थायी विन्यास निधि को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
48. विधेयक के खण्ड 48 में सामान्य निधि को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
49. विधेयक के खण्ड 49 में विकास निधि को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
50. विधेयक के खण्ड 50 में निधि का अनुरक्षण को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
51. विधेयक के खण्ड 51 में वार्षिक प्रतिवेदन को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
52. विधेयक के खण्ड 52 में लेखा व लेखा परीक्षा को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
53. विधेयक के खण्ड 53 में विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
54. विधेयक के खण्ड 54 में विश्वविद्यालय का विद्यटन को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
55. विधेयक के खण्ड 55 में विश्वविद्यालय के विद्यटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
56. विधेयक के खण्ड 56 में कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति को उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

डा० धन सिंह रावत
मंत्री

विधायी शक्तियों का ज्ञापन

प्रस्तावित आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

2- प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

डा० धन सिंह रावत
मंत्री

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

2— प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी भी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अन्तर्निहित नहीं है।

डा० धन सिंह रावत
मंत्री